नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर–6, नौएडा (गौतमबुद्धनगर)

पत्रांक : नौएडा/वि0नि0/2018/2305
दिनांक : 10 जनवरी, 2018

विशेष कार्याधिकारी (औद्योगिक, आवासीय भूखण्ड)

विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग)

सहायक महाप्रबन्धक (संस्थागत, वाणिज्यिक)

सहायक महाप्रबन्धक (आवासीय भवन)

जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 20.12.2017 के द्वारा नौएडा प्राधिकरण को लोकल अथॉरिटी के रूप में सहमति प्रदान किये जाने पर जी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत लोकल अथॉरिटी के रूप में जी.एस.टी. के प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है :–

1. व्यक्तिगत नाम से (Individuals other than business entity) आवंटित आवासीय भूखण्ड/भवन पर किसी भी प्रकार की सेवाओं पर जी.एस.टी. देय नहीं है। फर्म/कम्पनी (Business entity) जिनका वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से अधिक है, को आवंटित आवासीय भूखण्ड/भवन पर भू–प्रीमियम सहित समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय है।
2. संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक भूखण्ड (औद्योगिक भूखण्ड के भू–प्रीमियम को छोड़कर) हेतु आवंटित भूखण्डों पर दी जाने वाली समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा।
3. Non-business entity (Non Governmental/Non profit organization) जैसे स्कूल, मेडिकल कॉलेज, धार्मिक स्थल आदि को आवंटित भूखण्ड पर दी जाने वाली सेवायें जी.एस.टी. से छूट है।
4. समस्त प्रकार की पेनल्टी के रूप में ली जाने वाली धनराशि पर भी जी.एस.टी. से छूट है।
5. Business entity जिनकी वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम है, उन पर दी जाने वाली सेवाओं (Other than renting of immovable property services) पर भी जी.एस.टी. में छूट दी गई है।

6. प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में किसी को भी कुल रू0 5000.00 तक की दी जा रही सेवाओं पर भी जी.एस.टी. में छूट प्रदान की गई है।

(मनमोहन मिश्र)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0के0/ए0के0आर0/आर0के0एम0) को सूचनार्थ।
2. समस्त लेखाधिकारी (परिसम्पत्ति अनुभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वित्त नियंत्रक